राजस्व प्रार्थना पत्र सख्या 096/2013 अनवान औमप्रकाश बनाम पृथ्वीराज

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.09.2019 वकील उभय पक्ष उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8 (2) राजस्थान कोलोनाईजशन अधिनियम प्रस्तुत कर चक 19 जे.आर.के. के पत्थर नम्बर 41/244 के किला नम्बर 15, 16 व 25 में से धोरी खाल के साथा एक गट्ठा रास्ता स्वीकृत करनें हेतु निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार हनुमानगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया मुताबिक रिपोर्ट चक 19 जे.आर.के. के खाता संख्या 14/13 की कुल 6.705 भूमि में औम प्रकाश, पृथ्वीराज, सुभाष चन्द्र संयुक्त खातेदार है। इस संयुक्त खाते में प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों की कृषि भूमि कब्जा काश्त है। इसी चक के खाता संख्या 191/190 की कुल 4.174 अप्रार्थीगण संख्या 3 व 5 की संयुक्त खातेदारी भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रार्थी नें इस कृषि भूमि के सम्बंध में खाता विभाजन का वाद संख्या 60/2013 अनवान औम प्रकाश बनाम पृथ्वीराज आदि माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है। प्रार्थी खाता विभाजन करवानें से पूर्व यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करनें का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कानूनी रूप से पोषणीय नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया प्रार्थी द्वारा खाता संख्या 13/18 के पत्थर नम्बर 41/244 के किला नम्बर 15 में से रास्ता चाहा गया है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 संयुक्त खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अपनें खातेदारी भूमि जो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के साथ संयुक्त खाते की है, में से रास्ते की मांग की गई है, जो न्यायोचित नहीं है, क्योंकि संयुक्त खाते में प्रत्येक काश्तकार का संयुक्त खाते की भूमि में प्रत्येक इन्च पर अपनें हिस्सा अनुसार ही हिस्सेदारी होती है। इस कारण किला विशेष पर किसी एक काश्तकार का कब्जा नहीं माना जा सकता। यदि किसी सहकाश्तकार को किला विशेष के लिये पृथ्क से यदि रास्ता स्वीकृत करवाया जाना हो तो वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत खाता विभाजन करवाकर राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 ता 21 के तहत रास्ते, खाले की सुविधा प्राप्त करनें का अधिकारी है। जिसके सम्बंध में प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में वाद संख्या 60/2013 अनवान औम प्रकाश बनाम पृथ्वीराज प्रस्तुत कर रखा है जो वर्तमान में विचाराधीन है, इस कारण प्रार्थी अपनें सहखातेदारान से संयुक्त खाते की भूमि में से किला विशेष हेतु किला विशेष से रास्ता की मांग करनें का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत धारा 8 (2) राजस्थान कोलोनाईजशन अधिनियम पोषणीय नहीं होनें के कारण वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 06.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (कपिल यादव) उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर हनुमानगढ़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.20 18:24:25 IST
Reason: SelfAttested